न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)–जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्नोई
2. प्रकरण संख्या : 18/2022
3. उनवान : राघवेन्द्र पारीक चेला श्री विश्वेश्वर प्रसाद पारीक निवासी ग्राम बाघावास हाल निवासी एच–70, आनन्द निवास, मीरा मार्ग बनीपार्क जयपुर

.–अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ रेंगवाल जिला जयपुर।

–रेस्पोडेन्ट

4. निर्णय दिनांक : 07-08-2025
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) अधिवक्ता श्री मदन लाल कुडी अपीलांट की ओर से।
   ब) पैरोकार सरकार रेस्पोंडेन्ट की ओर से।

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य हैं कि ग्राम बाघावास में स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 125/1, 126, 127, 128/2, 664, 666 कुल किता 6 कुल रकबा 20 बीघा 15 बिस्वा खतौनी बन्दोबस्त सवंत 2011 से 2029 में अपीलान्ट के पूर्वज रामेश्वर दास चेला रामनिवास बतौर पुजारी मन्दिर श्री रघुनाथ जी विराजमान सा0 देह रहे, जिस पर काबिज काश्त खातेदार काश्तकार रहे संवत 2056 से 2059 की राजस्व जमाबन्दी में वर्णित आराजी अपीलान्ट के नाम दर्ज रही। जिसको दरकिनार कर अधिनस्थ न्यायालय उप–तहसीलदार किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर ने अपीलान्ट को उनके हक व अधिकारों से महरूम करते हुये क्षेत्राधिकार बाहर जाकर न्यायिक प्रक्रिया व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों को दरकिनार कर अपीलान्ट को बिना सूचना, बिना सुने, बिना साक्ष्य सबूत का अवसर दिये अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1030 दिनांक 6/9/2003 को माफी मन्दिर श्री रघुनाथ जी सा0देह के नाम तस्दीक कर दिया। जिससे व्यथित होकर जानकारी से अन्दर मियाद अपील पेश की गई। अपीलान्ट ने उक्त आराजीयात के रिकार्ड बाबत् हल्का पटवारी से उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड की जानकारी प्राप्त करने पर राजस्व जमाबन्दी में उनके पूर्वज विश्वेश्वर प्रसाद चेला रामेश्वर प्रसाद के नाम के स्थान पर माफी मन्दिर रघुनाथजी सादेह का नाम दर्ज देखकर उक्त राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की जानकारी हेतु पुराना रिकार्ड तहसील से दिनांक 13/10/2022 को प्राप्त किया तथा नामान्तकरण की नकल दिनांक 13/10/2022 को प्राप्त की, तब अपीलान्ट को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई। मूल रूप से शून्य व प्रभावहीन आदेश अपील के प्रकरण में मियाद सीमा लागू नहीं हैं, तथा ऐसे प्रकरणों में मियाद का बिन्दू का प्रश्न नहीं देखा जाता जहां गैरकानूनी तरीकों से वास्तविक हकदार व्यक्ति को उसके हक व अधिकारो से वंचित कर दिया गया हो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों व विधिक प्रक्रिया व प्रावधानो का उल्लंघन हुआ हो।

अन्त में निवेदन किया गया है कि न्यायालय को नरम रुख अपनाते हुये डिले कण्डोन कर अपीलाण्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप–तहसीलदार

अतिरिक्त कलक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(तृतीय) जयपुर

किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर द्वारा तस्दीक नामान्तकरण संख्या 1030 आदेश दिनांक 6/9/2003 को अपास्त किया जावे।

अपील के संलग्न अपीलांट ने अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1030 दिनांक 06/09/2003, पर्चा सेटलमेन्ट संवत 2011 से 2029, जमाबन्दी संवत 2044–2059, 2060–2063, खसरा गिरदावरी संवत 2032 से 2035 एवं अन्य संबंधित दस्तावेजात पेश किये हैं।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस तलबी जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए।

रेस्पोंडेन्ट तहसीलदार किशनगढ रेनवाल के पत्रांक 2286 दिनांक 13/05/2025 में अंकित है कि ग्राम बाघावास की वर्तमान जमाबन्दी संवत 2072–75 के खाता संख्या 264 में खसरा नं० 125/1 रकबा 1.0242 है0, 125/2 रकबा 0.1517 है0, 126 रकबा 1.1760 है0, 127 रकबा 1.4289 है0, 128/1 रकबा 1.8715 है0, 128/2 रकबा 0.0126 है0, 664 रकबा 0.5943 है0, 666 रकबा 1.0116 कुल किता 8 रकबा 7.2708 है0 माफी मंदिर श्री रघुनाथजी वाके देह हिस्सा पूर्ण खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। भू–प्रबन्ध सेटलमेन्ट खतौनी संवत 2011–29 के खाता संख्या 296 में खसरा नं० 125 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा, 126 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा, 127 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा, 128 रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा, 664 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, 665 रकबा 2 बिस्वा, 666 रकबा 4 बीघा कुल किता 7 रकबा 28 बीघा 17 बिस्वा कॉलम नं0 4 में माफी मंदिर श्री रघुनाथजी विराजमान देह पुजारी रामेश्वरदास चेला रामनिवासदास कोम बैरागी सा0 देह तथा कॉलम नं० 5 में खुदकाश्त दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबन्दी संवत 2048–51 के खाता संख्या 244 में किता 8 रकबा 29 बीघा 1 बिस्वा में विश्वेश्वर प्रसाद चेला रामेश्वरदास कोम स्वामी सा0 देह के नाम दर्ज है। जमाबन्दी संवत 2056–59 के खाता संख्या 265 में किता 11 कॉलम नं० 4 में विश्वेश्वर प्रसाद चेला रामेश्वरदास कोम पारीक स्वामी सा0 देह दर्ज है जिसमे अंकित नोट में नामान्तकरण संख्या 1030 दिनाक 06.09.2003 से खसरा नं0 125/1 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा, 126 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा, 127 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा, 128/2 रकबा 1 बिस्वा, 664 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, 666 रकबा 4 बीघा कुल किता 6 रकबा 20 बीघा 15 बिस्वा विश्वेश्वर प्रसाद चेला रामेश्वरदास कोम पारीक स्वामी सा0 देह के बजाय माफी मन्दिर श्री रघुनाथ वाके देह के नाम नामा0 स्वीकार हुआ, का नोट लगा हुआ है। ग्राम बाघावास की भू–प्रबन्ध की खतौनी बन्दोबस्त के अनुसार खाता सं० 296 में कॉलम सं0 4 में माफी मंदिर श्री रघुनाथजी विराजमान देह पुजारी रामेश्वरदास चेला रामनिवासदास कौम बैरागी सा0 देह दर्ज रिकॉर्ड है। राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प०2(4)राज.4/90/37 दिनांक 31.12.1991 की अनुपालना में नामान्तकरण संख्या 1030 दिनांक 06.09.2003 से विश्वेश्वर प्रसाद चेला रामेश्वरदास कोम पारीक स्वामी सा0 देह के बजाय खसरा नं0 125/1 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा, 126 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा, 127 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा, 128/2 रकबा 1 बिस्वा, 664 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, 666 रकबा 4 बीघा कुल किता 6 रकबा 20 बीघा 15 बिस्वा के बजाय माफी मन्दिर श्री रघुनाथ वाके देह के नाम नामा0 स्वीकार हुआ।"

उक्त जवाब के समर्थन में रेस्पोंडेन्ट द्वारा नामा0 सं0 1030, भू–प्रबंध एवं जमाबन्दी संवत 2056–2059 की प्रति पेश की है।

तत्पश्चात पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि राजस्व ग्राम बाघावास में स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 125/1, 126, 127, 128/2, 664, 666 कुल किता 6 कुल रकबा 20 बीघा 15 बिस्वा खतौनी

अतिरिक्त कलक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(प्रथम) जयपुर

बन्दोबस्त सवंत 2011 से 2029 में अपीलान्ट के पूर्वज रामेश्वर दास चेला रामनिवास बतौर पुजारी मन्दिर श्री रघुनाथ जी विराजमान सा. देह जिस पर काबिज काश्त खातेदार काश्तकार रहे। रामेश्वर दास के फौत होने पर अपीलान्ट के गुरु विश्वेश्वर प्रसाद के नाम नामान्तकरण विधिक प्रक्रिया अपनाकर तस्दीक किया गया। संवत 2056 से 2059 की राजस्व जमाबन्दी में वर्णित आराजी अपीलान्ट के नाम दर्ज रही। उक्त दौरान ही उक्त आराजीयात माफी मन्दिर श्री रघुनाथ जी सा0देह के नाम दर्ज कर दी गई। जबकि उक्त आराजीयात अपीलान्ट के नाम कब्जे काश्त के आधार पर दर्ज की गई और उनकी मृत्यु के बाद उक्त आराजीयात उनके विधिक वारिस के नाम दर्ज रही। जिसको दरकिनार कर अधीनस्थ न्यायालय उप–तहसीलदार किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर ने क्षेत्राधिकार बाहर जाकर न्यायिक प्रक्रिया व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों को दरकिनार कर अपीलान्ट को बिना सूचना, बिना सुने, बिना साक्ष्य सबूत का अवसर दिये अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1030 दिनांक 6 / 9 / 2003 को माफी मन्दिर श्री रघुनाथ जी सा.देह के नाम तस्दीक कर दिया। राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 लागू होने पर खसरा नम्बर 125 / 1, 126, 127, 128 / 2, 664, 666 कुल किता 6 कुल रकबा 20 बीघा 15 बिस्वा भूमि अपीलान्ट के पूर्वज के नाम दर्ज की गई। खसरा नम्बर 125 व 128 का बैचान हीरालाल पुत्र जोधाराम जाट को कर दिये जाने के कारण उक्त खसरा नम्बर 125 व 128 के हाल खसरा नम्बर 125 / 1 व 128 / 2 अपीलान्ट के नाम व खसरा नम्बर 128 / 1 हीरालाल पुत्र जोधाराम जाट के नाम दर्ज रहे। एकतरफा कार्यवाही करते हुये न्यायिक प्रक्रिया को दरकिनार करते हुये उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण पारित किया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के सर्वथा विपरीत हैं। एकतरफा आदेश व कार्यवाही कानूनन प्रभावहीन हैं। कृषक का नाम बिना किसी वैध आदेश के विलोपित कर दिया। अपीलान्ट के पूर्वज व अपीलान्ट माफी रिज्यूम होने के साथ निर्बाध रूप से खातेदार की हैसियत से काबिज होकर माफी रिज्यूम होने के साथ मन्दिर के बजाय राजस्थान सरकार का अंकन हो गया तथा कृषक के कॉलम में अंकित अपीलान्ट के पूर्वज को माफी रिज्मपशन की धारा 9 एवं काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार खातेदार दर्ज कर दिया गया। राजस्व अभिलेख में कोई न कोई आदेश के आधार पर ही अंकन प्रविष्टि की जाती है और जब तक उक्त आदेशों को निरस्त नहीं करवाया जाता, तब तक उक्त राजस्व अंकन को समाप्त नहीं किया जा सकता। जिससे पैतृक अधिकार एवं स्थानान्तरण के अधिकार प्राप्त थे एवं जो भूमियां राजस्व अभिलेखों में खुद काश्त की दर्ज रही थी, वे सस्त भूमियां राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचना जारी कर धारा 21 जागीर एक्ट के तहत अधिकृत कर ली गई थी व धारा 22 जागीर एक्ट के तहत राज्य सरकार के नाम दर्ज कर दी गई। आराजीयात के रिकार्ड बाबत् हल्का पटवारी से उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड की जानकारी प्राप्त करने पर राजस्व जमाबन्दी में उनके पूर्वज विश्वेश्वर प्रसाद चेला रामेश्वर प्रसाद के नाम के स्थान पर माफी मन्दिर रघुनाथजी सादेह का नाम दर्ज देखकर उक्त राजस्व रिकार्ड की नकल दिनांक 13 / 10 / 2022 को प्राप्त कर अपील अविलम्ब अदालत हाजा में प्रस्तुत की। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप–तहसीलदार किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर द्वारा तस्दीक नामान्तकरण संख्या 1030 आदेश दिनांक 6 / 9 / 2003 को अपास्त किया जावे।

पैरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि जमाबन्दी संवत 2072–75 अनुसार खसरा नं० 125 / 1, 125 / 2, 126, 127, 128, 128 / 2, 664, 666 कुल किता 8 रकबा 7.2708 हैक्टेयर माफी मंदिर श्री रघुनाथजी वाके देह हिस्सा पूर्ण खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। भू–प्रबन्ध सेटलमेन्ट खतौनी संवत 2011–29 में खसरा नं० 125, 126, 127, 128, 664, 665, 666 कुल किता 7 रकबा 28 बीघा 17 बिस्वा कॉलम नं0 4 में माफी मंदिर श्री

अतिरिक्त कलक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(तृतीय) जयपुर

रघुनाथजी विराजमान देह पुजारी रामेश्वरदास चेला रामनिवासदास कोम बैरागी सा. देह तथा कॉलम नं० 5 में खुदकाश्त दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबन्दी संवत 2048–51 के खाता संख्या 244 में किता 8 रकबा 29 बीघा 1 बिस्वा में विश्वेश्वर प्रसाद चेला रामेश्वरदास कोम स्वामी सा० देह के नाम दर्ज है। जमाबन्दी सवत 2056–59 के खाता संख्या 265 में किता 11 कॉलम नं० 4 में विश्वेश्वर प्रसाद चेला रामेश्वरदास कोम पारीक स्वामी सा० देह दर्ज है जिसमे अंकित नोट में नामान्तकरण संख्या 1030 दिनांक 06.09.2003 से खसरा नं० 125/1, 126, 127, 128/2, 664, 666 कुल किता 6 रकबा 20 बीघा 15 बिस्वा विश्वेश्वर प्रसाद चेला रामेवश्वरदास कोम पारीक स्वामी सा० देह के बजाय माफी मन्दिर श्री रघुनाथ वाके देह के नाम नामा० स्वीकार हुआ। राज० सरकार के आदेश क्रमांक प०2(4)राज.4/90/37 दिनांक 31.12.1991 की अनुपालना में नामान्तकरण संख्या 1030 दिनांक 06.09.2003 से विश्वेश्वर प्रसाद चेला रामेवश्वरदास कोम पारीक स्वामी सा० देह के बजाय खसरा नं० 125/1 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा, 126 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा, 127 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा, 128/2 रकबा 1 बिस्वा, 664 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, 666 रकबा 4 बीघा कुल किता 6 रकबा 20 बीघा 15 बिस्वा के बजाय माफी मन्दिर श्री रघुनाथ वाके देह के नाम नामा० स्वीकार हुआ। अतः राज्य सरकार के परिपत्रों एवं आदेश की पालना में अपीलाधीन नामान्तरण स्वीकृत होने के कारण अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया तथा अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर धारा 5 के प्रार्थना पत्र के लिए न्यायालय का मत है "अपील विलम्ब से पेश करने के संबंध में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र का निर्णय करते समय न्यायालय को विलम्ब के कारणों पर निर्णय करने के साथ उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जहाँ प्रथम दृष्ट्या किसी पक्षकार के हितों के लिए उसे अवसर दिया जाना न्यायोचित हो, वहाँ विलम्ब के कारणों पर उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए पक्षकार को अपना पक्ष साबित करने हेतु पर्याप्त अवसर देना न्यायसंगत है।"

इसलिए विलम्ब के बिन्दु पर अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

हस्तगत अपील उपतहसीलदार किशनगढ रेनवाल द्वारा तस्दीक नामान्तरण सं0 1030 दिनांक 06/09/2003 के विरूद्ध विचाराधीन है। प्रकरण में तहसीलदार किशनगढ रेनवाल ने अपने जवाब/बिंदुवार तथ्यात्मक रिर्पोट के संक्षिप्त विवरण में अंकित किया है कि "भू–प्रबन्ध सेटलमेन्ट खतौनी संवत 2011–29 के खाता संख्या 296 में खसरा नं० 125 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा, 126 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा, 127 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा, 128 रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा, 664 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, 665 रकबा 2 बिस्वा, 666 रकबा 4 बीघा कुल किता 7 रकबा 28 बीघा 17 बिस्वा कॉलम नं0 4 में माफी मंदिर श्री रघुनाथजी विराजमान देह पुजारी रामेश्वरदास चेला रामनिवासदास कोम बैरागी सा0 देह तथा कॉलम नं० 5 में खुदकाश्त दर्ज रिकॉर्ड है; नामान्तकरण संख्या 1030 दिनांक 06.09.2003 से खसरा नं० 125/1 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा, 126 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा, 127 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा, 128/2 रकबा 1 बिस्वा, 664 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, 666 रकबा 4 बीघा कुल किता 6 रकबा 20 बीघा 15 बिस्वा विश्वेश्वर प्रसाद चेला रामेवश्वरदास कोम पारीक स्वामी सा० देह के बजाय माफी मन्दिर श्री रघुनाथ वाके देह के नाम नामा० स्वीकार किया गया।

अतिरिक्त कलक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(तृतीय) जयपुर

राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र प0क्र–3(2) ाज–6/2007/14 जयपुर दिनांक 24/5/2007 के पैरा सं0 2 में अंकित किया है कि 'जागीरों के अधिग्रहण के समय जो भूमि मंदिर के नाम से अथवा जरिये पुजारी खुदकाश्त के रूप में दर्ज थी। उस भूमि में किसी भी अन्य व्यक्ति को काश्तकारी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। मंदिर मूर्ति निरन्तर अव्यस्क है, वह किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से जैसे पुजारी, सेवादार आदि के माध्यम से कार्य कर सकता है। इनके नाम से काश्त दर्ज होने पर काश्तकारी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। ऐसे प्रकरणों जिनमें मंदिर के पुजारियों के नाम भूमि दर्ज है उनमें निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु सक्षम न्यायालय में रेफरेन्स की कार्यवाही की जावे।''

विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी पक्षकार को उसके विरुद्ध निर्णय पारित करने से पूर्व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करना चाहिए। हस्तगत प्रकरण में तत्समय उपतहसीलदार किशनगढ रेनवाल ने पक्षकारान के खातेदारी अधिकारों को समाप्त करने से पूर्व पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया हो, ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है।

विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार किशनगढ रेनवाल द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में बिना विधिक प्रक्रिया, बिना जांच, नामान्तकरण संख्या 1030 दिनांक 06/09/2003 द्वारा अपीलाधीन खसरा नम्बरान में खातेदार का नाम विलोपित कर दिया गया, जो कि प–2(4)राज/4/90/37 जयपुर दिनांक 13/12/91 को जारी परिपत्र/पत्र की भावना के खिलाफ था। न्यायालय के समक्ष राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजी साक्ष्यों, रिपोर्ट तहसीलदार से स्पष्ट है कि तत्समय राजस्व कार्मिकों व तहसीलदार द्वारा बिना जांच किए व बिना विधिक प्रक्रिया का पालन किए उक्त नामांतकरण दर्ज कर दिया जो कि त्रुटिपूर्ण व विधिसम्मत नहीं होने के कारण निरस्त योग्य है। नामान्तकरण संख्या 1030 दिनांक 06/09/2003 विधि सम्मत नहीं होने के कारण निरस्त योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर न्यायालय उपतहसीलदार किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर द्वारा स्वीकृत अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1030 दिनांक 06/09/2003 को खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 07-08-2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद दर्ज नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो।

(कुन्तल विश्नोई)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर